

बिल का सारांश

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान बिल, 2026

- भारतीय सांख्यिकीय संस्थान बिल, 2026 को 3 अगस्त, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यह भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता (आईएसआई) के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करता है। आईएसआई सांख्यिकी के क्षेत्र में शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण प्रदान करता है। बिल भारतीय सांख्यिकीय संस्थान एक्ट, 1959 को निरस्त करता है और उसका स्थान लेता है।
- **स्थापना:** आईएसआई वर्तमान में पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण एक्ट, 1961 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत है। बिल में यह प्रावधान है कि आईएसआई एक कॉरपोरेट बॉडी होगा और एक गैर लाभकारी कानूनी इकाई के रूप में काम करेगा।
- **उद्देश्य:** बिल में यह प्रावधान है कि आईएसआई के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसका प्रसार करना, (ii) सांख्यिकीय विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस और अन्य क्षेत्रों में अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देना, (iii) ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग (प्राैक्तिक एप्लिकेशन) को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षाविदों और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ाना, और (iv) सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता का केंद्र बनना। आईएसआई केंद्र सरकार की मंजूरी से नए केंद्र स्थापित कर सकता है।
- **विज़िटर:** यह बिल आईएसआई के प्रशासनिक ढांचे को निर्दिष्ट करता है। भारत के राष्ट्रपति इसके विज़िटर होंगे। विज़िटर एक या अधिक व्यक्तियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए नियुक्त कर सकते हैं: (i) संस्थान के काम और प्रगति की समीक्षा करना, और (ii) इसके मामलों की जांच करना। विज़िटर जांच या समीक्षा रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं और निर्देश जारी कर सकते हैं, जो संस्थान के लिए बाध्यकारी होंगे। एक्ट के तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी समीक्षाओं और जांचों के लिए समितियां बनाने की शक्तियां थीं।
- **बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स:** आईएसआई में मुख्य नीति-निर्माता कार्यकारी निकाय के रूप पर बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स होगा। बोर्ड के अध्यक्ष शिक्षाविदों, उद्योग, शिक्षा, सार्वजनिक नीति (पब्लिक पॉलिसी), सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष को केंद्र सरकार के सुझाव पर विज़िटर द्वारा मनोनीत किया जाएगा। बोर्ड के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से एक नामांकित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, (ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संयुक्त/अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, (iii) सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों के चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और (iv) आईएसआई के चार निर्दिष्ट प्रतिनिधि। बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संस्थान के प्रशासन और कामकाज से जुड़े नीतिगत मामलों पर फैसला लेना, (ii) बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना, (iii) नए विभागों और सुविधाओं की स्थापना, (iv) केंद्र सरकार को सूचित करते हुए अध्ययन केंद्रों की स्थापना, (v) डिग्रियां और अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना, (vi) केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से नए पदों का सृजन करना, (vii) रेगुलेशन बनाना, और (viii) समय-समय कामकाज की समीक्षा करना (किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञों के समूह के ज़रिए)।
- **परिषद:** यह बिल निम्नलिखित की स्थापना करता है: (i) पाठ्यक्रम, प्रवेश, परीक्षा और

मूल्यांकन जैसे मामलों पर फैसला लेने के लिए मुख्य शैक्षणिक निकाय के तौर पर एक अकादमिक परिषद, (ii) खातों और खर्चों की बारीकी से जांच करने के लिए एक वित्त समिति, और (iii) हर एक केंद्र को चलाने और दिन प्रति दिन की देखरेख के लिए एक अलग प्रबंधन परिषद।

- **निदेशक:** बोर्ड, विज़िटर की पूर्व मंजूरी से एक निदेशक नियुक्त करेगा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ़ एग्ज़िक्यूटिव ऑफ़िसर) होगा। निदेशक इन कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होगा: (i) बोर्ड और अकादमिक परिषद के फैसलों को लागू करना, और (ii) दिन प्रति दिन का प्रशासन। बोर्ड, विज़िटर की पूर्व मंजूरी से निदेशक को पद से हटा सकता है।
- **केंद्र सरकार की शक्तियाँ:** एक्ट केंद्र सरकार को जनहित में निर्देश जारी करने का अधिकार देता

है, जिसके लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। इसके बजाय, यह बिल केंद्र सरकार को तब निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जब कानून के कुशल प्रशासन के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो।

- एक्ट के तहत, केंद्र सरकार दो वर्ष के लिए आईएसआई का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है, अगर: (i) संस्थान उसके निर्देशों का पालन न करे, या (ii) संस्थान का प्रबंधन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे या हद से ज़्यादा इस्तेमाल करे। यह बिल इन शक्तियों को खत्म करता है।
- एक्ट के तहत यह ज़रूरी है कि नियमों और रेगुलेशंस में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाए। बिल के तहत पूर्व मंजूरी सिर्फ बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले पहले रेगुलेशंस के लिए ही ज़रूरी होगी।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।